तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी./टी ए/8447/2006/हनुमानगढ दलीप सिंह बनाम हरचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-11-18	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थित–** श्री ओ.पी.मोदी अभिभाषक प्रार्थी श्री खडग सिंह अभिभाषक अप्रार्थी निर्णय यह निगरानी सहायक कलेक्टर पीलीबंगा के आदेश दिनांक 28–10–06 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है एवं प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे को रेकार्ड पर नहीं लेने के आदेश पारित किये हैं। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–7–06 को जबाब दावा प्रस्तुत किया था। जबाब दावा शामिल मिसल किया गया तथा जबाब दावे की प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी द्वारा जबाब दावा पेश करने के सम्बन्ध में कोई आपति नहीं की और जबाब दावे की प्रति प्राप्त कर ली। अप्रार्थी वादी ने प्रार्थी प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी का दिनांक 16–9–06 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। उस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी./टी ए/8447/2006/हनुमानगढ दलीप सिंह बनाम हरचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जबाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि प्रतिवादी का जबाब दावा रेकार्ड पर न लिया जावे। वादी ने जबाब दावा रेकार्ड पर नहीं लेने के लिये कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है। जबाब दावा पेश होने के दो माह बाद धारा 10 जाब्ता दीवानी के जबाब में आपति दर्ज की है जो गलत व विधि विरूद्ध है। न्याय हित में प्रतिवादी का जबाब दावा रेकार्ड पर लेने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थी ने जबाब दावा रेकार्ड पर लेने बाबत एवं धारा 10 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश की थी। प्रार्थी अपनी निगरानी को जबाब दावा रेकार्ड पर लेने की हद तक प्रेस करता है धारा 10 जाब्ता दीवानी के आदेश के विरूद्ध नोट प्रेस करता है।अतः जबाब दावा रेकार्ड पर लेने की हद तक निगरानी पर निर्णय पारित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर टी 2005(2)पेज 899,1005,745 की नजीरें पेश की। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादी द्वारा वाद दिनांक 24-11-05 को प्रस्तुत किया गया था तथा समस्त प्रतिवादीगण की तामील दिनांक 26-12-05 तक हो चुकी थी। उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण मौका लेते रहे। दिनांक 15-7-06 को वादिया के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण का जबाब दावा बन्द करने हेतु मौखिक निवेदन किया तो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जबाब दावे से बचने के लिये धारा 10 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। जबाब दावा पेश करने हेतु लगभग एक वर्ष तक समय लेते रहे। जबाब दावा समयावधि बाधित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उसे रेकार्ड पर नहीं लेने के जो आदेश पारित किये हैं।वह विधिसम्मत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी./टी ए/8447/2006/हनुमानगढ दलीप सिंह बनाम हरचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हैं,निगरानी खारिज की जावे। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेशिका दिनांक 22-7-06 के अनुसार प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दिनांक को जबाब दावा पेश किया। नकल वकील वादी को दिलाई गई। जबाब दावा पेश होने के लगभग दो माह बाद धारा 10 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के जबाब में जबाब दावा रेकार्ड पर न लेने बाबत आपति दर्ज की है। जबाब दावा पेश करने एवं उसकी नकल प्राप्त करने के समय जबाब दावा रेकार्ड पर नहीं लेने बाबत कोई आपति नहीं की गई है। हालाकि जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु बार बार मौके लिये गये हैं और जबाब दावा काफी विलम्ब से पेश किया है। जबाब दावा रेकार्ड पर नहीं लेने की स्थिति में पक्षकारों के मध्य सही न्याय नहीं हो सकेगा इसलिये जबाब दावा रेकार्ड पर लेने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः निगरानी सशर्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28-10-06 जबाब दावा रेकार्ड पर नहीं लेने की हद तक निरस्त किया जाकर जबाब दावे को रूपये 3000/-(अक्षरे तीन हजार रूपये) हर्जाने पर रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। हर्जाने की राशि प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करेगा। हर्जाने की राशि अदा नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश बहाल माना जावेगा। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक .....को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 2005 से लम्बित है जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी./टी ए/8447/2006/हनुमानगढ दलीप सिंह बनाम हरचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काफी पुराना हो चुका है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासी अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (धूकलराम कसवां) सदस्य	